रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10122021-231786
CG-DL-E-10122021-231786

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 692] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 10, 2021/अग्रहायण 19, 1943
No. 692] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 10, 2021/AGRAHAYANA 19, 1943

## वित्त मंत्रालय

### (राजस्व विभाग)

### (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2021

### आयकर

**सा.का.नि. 851(अ).**—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 10 के खंड (4अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आगे आयकर नियम, 1962 का और संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:–

**1.** संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (तैंतीसवां संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

**2.** आयकर नियम, 1962 में नियम 21 कञ के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

"21कट धारा 10 के खंड (4 ड़) के प्रयोजन के लिए शर्तें।

(1) अधिनियम की धारा 10 के खंड (4 ड़) के अधीन किसी अनिवासी द्वारा अपरिदाय अग्रेषित संविदा के अंतरण के परिणाम स्वरूप प्रोद्भूत या उद्भूत या प्राप्त आय पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ती होने पर, छूट प्राप्त होगी, अर्थात्: –

(i) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) विनियम, 2020 के अधीन दिए गए रजिस्ट्रीकरण के वैध प्रमाण पत्र को रखने वाले किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के किसी अपतट बैंकिंग ईकाई, के साथ अनिवासी द्वारा अपरिदाय अग्रेषित संविदा की गई हो, और

(ii) अनिवासी द्वारा भारत में उसके स्थायी स्थापना के माध्यम या उसकी ओर से ऐसी संविदा नहीं कि गई हो;

(2) अपतटीय बैंककारी इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उप-नियम (1) के खंड (ii) में दी गई शर्तों का अनुपालन किया गया है।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति,-

(i) "स्थायी प्रतिष्ठान" का वही अर्थ होगा जो धारा 92च के खंड (iiia) में दिया गया है;

(ii) "अपरिदाय अग्रेषित संविदा" से पूर्व में सहमत विनिमय दर और परिपक्व होने पर वास्तविक हाजिर दर में अंतर के लिए अभिप्रेत है, जहां हाजिर दर को घरेलू दर या बाजार द्वारा निर्धारित दर के रूप में लिया जाएगा और ऐसी संविदा का निपटान एकल संदाय के साथ विदेशी मुद्रा में किया जाएगा; और

(iii) "अपतटीय बैंककारी इकाई" का अर्थ अधिनियम की धारा 80ठ की उप-धारा (1क) में यथानिर्दिष्ट है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित एक बैंककारी शाखा है, ।"

[अधिसूचना सं. 136/2021/फा. सं. 370142/53/2021-टीपीएल(भाग-II)]

उम्मे फरदीना आदिल, अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 831(अ) तारीख 23 नवंबर, 2021 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

## MINISTRY OF FINANCE

**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th December, 2021

**INCOME-TAX**

**G.S.R. 851(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (4E) of section 10 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules,1962, namely:─

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Income-tax ($33^{rd}$ Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**2**. In the Income-tax Rules, 1962, after rule 21AJ, the following rule shall be inserted, namely:—

**"21AK. Conditions for the purpose of clause (4E) of section 10.-** (1) The income accrued or arisen to, or received by, a non-resident as a result of transfer of non-deliverable forward contracts under clause (4E) of section 10 of the Act, shall be exempted subject to fulfillment of the following conditions, namely:─

(i) the non-deliverable forward contract is entered into by the non-resident with an offshore banking unit of an International Financial Services Centre which holds a valid certificate of registration granted under International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020 by the International Financial Services Centres Authority; and

(ii) such contract is not entered into by the non-resident through or on behalf of its permanent establishment in India .

(2) The offshore banking unit shall ensure that the condition provided in clause (ii) of sub-rule (1) is complied with.

*Explanation*.- For the purpose of this rule, the expression,-

(i) "permanent establishment" shall have the meaning assigned to it in clause (iiia) of section 92F;

(ii) "a non-deliverable forward contract" shall mean a contract for the difference between an exchange rate agreed before and the actual spot rate at maturity, with the spot rate being taken as the domestic rate or a market determined rate and such contract being settled with a single payment in a foreign currency; and

(iii) "offshore banking unit" means a banking branch Unit located in an International Financial Services Centre, as referred to in sub-section (1A) of section 80LA of the Act.".

[Notification No. 136/2021/F. No. 370142/53/2021-TPL (Part-II)]

UMME FARDINA ADIL, Under Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 969 (E) dated the 26th March, 1962 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 831(E) dated 23rd November, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.12.10 22:49:22 +05'30'